# पंचायती राज

## ग्राम समाज तथा पंचायत

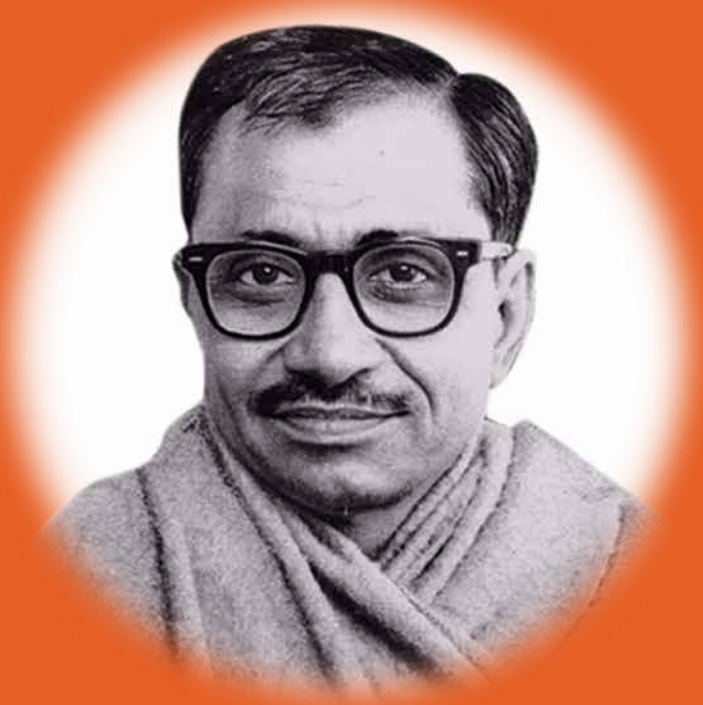

पं. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान 2018

9 789388 310178

भारतीय जनता पार्टी

# पंचायती राज

## ग्राम समाज तथा पंचायत

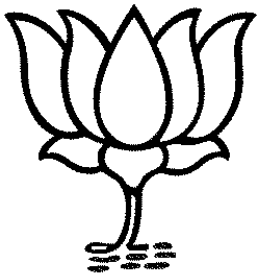

**भारतीय जनता पार्टी**

प्रशिक्षण महाभियान 2018

11, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

**पंचायती राज :**
**ग्राम समाज तथा पंचायत**

**© भारतीय जनता पार्टी**
11, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

ISBN: 978-93-88310-17-8

9 789388 310178

**2018**

**मुद्रकः**
एच.टी. मीडिया लिमिटेड
बी-2, सेक्टर-63
नोएडा (उ. प्र.)-201307

# आमुख

सर्वाधिक सदस्य संख्या के विश्व रिकार्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है। सिर्फ केन्द्र में ही नहीं, बल्कि देश के आधे से अधिक राज्यों में भी आज यह सत्ता में है। ऐसे विशाल जनादेश के साथ आज देश की राजनीतिक व्यवस्था में पार्टी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

हमारा मानना है कि पार्टी के प्रति देशवासियों का जितना अधिक भरोसा बढ़ता है उतनी ही अधिक पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसलिए कार्यकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि तथा नेतृत्व को भावी जिम्मेदारियां संभालने हेतु तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी विचार को केन्द्र में रखकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण हेतु ठोस पहल की है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बात करें तो अपने शुरूआती दिनों से ही भाजपा की यह खास पहचान रही है। इससे पूर्व जनसंघ के रूप में भी कार्यकर्ता प्रशिक्षण पर सदैव जोर रहा। सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पीछे मूल सोच यही रही है कि कैसे पार्टी में जमीनी स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और किस प्रकार ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम खड़ी हो जो सेवा एवं समर्पण भाव के साथ देशवासियों की आकांक्षाओं पर खरी उतरे।

भाजपा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को वर्ष 2015 में उस समय नया आयाम मिला जब ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान'' की शुरूआत हुई। इस अभियान की सफलता का आकलन महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का यह दुनिया का पहला एवं सबसे बड़ा अभियान है। प्रथम चरण में मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हजारों प्रशिक्षण कार्यक्रम देशभर में आयोजित किये गये।

प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में अब पार्टी के विभिन्न मोर्चों, विभागों एवं स्तरों पर कार्यरत राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह नया आयाम है। द्वितीय चरण में पंचायत स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की भी योजना बनी है।

पंचायतें वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ रही हैं। विश्व की किसी भी ज्ञात लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायतें सबसे पुरानी हैं

और प्रभावी स्वशासन का बेहतरीन उदाहरण भी हैं। भारतीय संविधान के तहत, खासतौर से 73वें संविधान संशोधन (धारा 243) के बाद, अधिकारों, कर्तव्यों एवं संसाधनों की दृष्टि से पंचायतें अब काफी शक्तिशाली हुई हैं।

यह पुस्तिका पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु तैयार की गयी है। इसमें मुख्य रूप से पंचायतों की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय लोकतंत्र में उनकी भूमिका, महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं की जानकारी, पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों की भूमिका एवं कर्तव्य, प्रभावी प्रशासन हेतु कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों आदि से संबंधित जानकारी संकलित की गयी है। अनुभवी प्रशिक्षकों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् तैयार की गयी इस पुस्तिका में जो जानकारी दी गयी है वह हमारे पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं और निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनके ज्ञानवर्धन एवं कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रक्रिया में इस पुस्तिका को एक शुरूआत ही मानना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि पार्टी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने में यह पुस्तिका अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी।

**पी. मुरलीधर राव**
(राष्ट्रीय महासचिव)
प्रभारी, पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान

# विषय सूची


1. भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास 08

2. सैद्धांतिक अधिष्ठान 16

3. ग्राम समाज तथा पंचायत 21

4. पंचायतों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 23

5. स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था 27

6. लक्ष्य से सिद्धि 36

7. गुजरात का समरस ग्राम मॉडल 39

8. पंचायतों से जुड़ी भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं 40

9. ग्राम पंचायत में युवाओं एवं महिलाओं की भूमिका 42

10. लीक से हटकर सोचें 44

11. मीडिया / सोशल मीडिया संवाद 47

# भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल, 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक-दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने दो ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन-युग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा नीत राजग शासन के दौरान रखी। आज तीन दशक बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है तथा भारी बहुमत से भाजपा नीत राजग सरकार केन्द्र में विद्यमान है।

## पृष्ठभूमि

हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल, 1980 को हुआ, परन्तु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई। गांधीजी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात् कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गांधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण कांग्रेस 'नेहरूवाद' की चपेट में आ गई तथा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर

आदि पर घुटनाटेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगे। 'नेहरूवाद' तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉ श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने नेहरु मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांततः दूरी बनाये रखने के कारण वे अलग-थलग तो पड़े ही, साथ ही संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलतः भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर, 1951 को डॉ श्यामा प्रसाद मुकर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई।

भारतीय जनसंघ ने डॉ श्यामा प्रसाद मुकर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप डॉ श्यामा प्रसाद मुकर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो गई। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गया। भारत-चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लम्बे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई।

## भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय

सत्तर के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में निरंकुश होती जा रही कांग्रेस सरकार के विरूद्ध देश में जन-असंतोष उभरने लगा। गुजरात के नवनिर्माण आन्दोलन के साथ बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने इन आंदोलनों के दमन का रास्ता अपनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया तथा देशभर में कांग्रेस शासन के विरूद्ध जन-असंतोष मुखर हो उठा। १९७१ में देश पर भारत-पाक युद्ध तथा बांग्लादेश में विद्रोह

के परिप्रेक्ष्य में बाह्य आपातकाल लगाया गया था जो युद्ध समाप्ति के बाद भी लागू था। उसे हटाने की भी मांग तीव्र होने लगी। जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज को दमनचक्र से कुचलने का प्रयास किया। परिणामतः 25 जून, 1975 को देश पर दूसरी बार आपातकाल भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत 'आंतरिक आपातकाल' के रूप में थोप दिया गया। देश के सभी बड़े नेता या तो नजरबंद कर दिये गए अथवा जेलों में डाल दिए गये। समाचार पत्रों पर 'सेंसर' लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं को 'मीसा' के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। जनसंघर्ष को तेज किया जाने लगा और भूमिगत गतिविधियां भी तेज हो गयीं। तेज होते जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी, 1977 को लोकसभा भंग कर दी तथा नये जनादेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नये राष्ट्रीय दल 'जनता पार्टी' का गठन किया गया। विपक्षी दल एक मंच से चुनाव लड़े तथा चुनाव में कम समय होने के कारण 'जनता पार्टी' का गठन पूरी तरह से राजनीतिक दल के रूप में नहीं हो पाया। आम चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई तथा 'जनता पार्टी' एवं अन्य विपक्षी पार्टियां भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। पूर्व घोषणा के अनुसार 1 मई, 1977 को भारतीय जनसंघ ने करीब 5000 प्रतिनिधियों के एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया।

## भाजपा का गठन

जनता पार्टी का प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। दो-ढाई वर्षों में ही अंतर्विरोध सतह पर आने लगा। कांग्रेस ने भी जनता पार्टी को तोड़ने में राजनीतिक दांव-पेंच खेलने से परहेज नहीं किया। भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आये सदस्यों को अलग-थलग करने के लिए 'दोहरी-सदस्यता' का मामला उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने पर आपत्तियां उठायी जानी लगीं। यह कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते। 4 अप्रैल, 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर

6 अप्रैल, 1980 को एक नये संगठन 'भारतीय जनता पार्टी' की घोषणा की। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।

## विचार एवं दर्शन

भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। पार्टी की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान 'विश्वशक्ति' एवं 'विश्व गुरू' के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति तथा न्याययुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखे।

भाजपा भारतीय संविधान में निहित मूल्यों तथा सिद्धांतों के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित राज्य को अपना आधार मानती है। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतान्त्रिक राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंगभेद के बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।

भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म-मानवदर्शन' को अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया है। साथ ही पार्टी का अंत्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर भी विशेष जोर है। पार्टी ने पांच प्रमुख सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की, जिन्हें 'पंचनिष्ठा' कहते हैं। ये पांच सिद्धांत (पंच निष्ठा) हैं-राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता (सर्वधर्मसमभाव), गांधीवादी समाजवाद (सामाजिक-आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण द्वारा शोषण मुक्त समरस समाज की स्थापना) तथा मूल्य आधारित राजनीति।

## उपलब्धियां

श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गई। बोफोर्स एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः गैर-कांग्रेसी दल एक मंच पर आये तथा 1989 के

आम चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। वी.पी. सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। इसी बीच देश में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथयात्रा शुरू की। राम मंदिर आन्दोलन को मिले भारी जनसमर्थन एवं भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर आडवाणी जी की रथयात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। फलतः भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। और वी.पी. सिंह सरकार गिर गई तथा कांग्रेस के समर्थन से चन्द्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री बने। आने वाले आम चुनावों में भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ता गया। इसी बीच नरसिम्हाराव के नेतृत्व में कांग्रेस तथा कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकारों का शासन देशपर रहा, जिस दौरान भ्रष्टाचार, अराजकता एवं कुशासन के कई 'कीर्तिमान' स्थापित हुए।

1996 के आम चुनावों में भाजपा को लोकसभा में 161 सीटें प्राप्त हुईं। भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 1991 ,85 में 120 तथा 1996 में 161 सीटें प्राप्त कीं। भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार ने 1996 में शपथ ली, परन्तु पर्याप्त समर्थन के अभाव में यह सरकार मात्र 13 दिन ही चल पाई। इसके बाद 1998 के आम चुनावों में भाजपा ने 182 सीटों पर जीत दर्ज की और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शपथ ली। परन्तु जयललिता के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण सरकार लोकसभा में विश्वासमत के दौरान एक वोट से गिर गई, जिसके पीछे वह अनैतिक आचरण था, जिसमें उड़ीसा के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री गिररिधर गोमांग ने पद पर रहते हुए भी लोक सभा की सदस्यता नहीं छोड़ी तथा विश्वासमत के दौरान सरकार के विरूद्ध मतदान किया। कांग्रेस के इस अवैध और अनैतिक आचरण के कारण ही देश को पुनः आम चुनावों का सामना करना पड़ा। 1999 में भाजपा 182 सीटों पर पुनः विजय मिली तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 306 सीटें प्राप्त हुईं। एक बार पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा-नीत राजग की सरकार बनी।

भाजपा-नीत राजग सरकार ने श्री अटल बिहारी के नेतृत्व में विकास के अनेक नये

प्रतिमान स्थापित किये। पोखरण परमाणु विस्फोट, अग्नि मिसाइल का सफ़ल प्रक्षेपण, कारगिल विजय जैसी सफलताओं से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊंचा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में नयी पहल एवं प्रयोग, कृषि, विज्ञान एवं उद्योग के क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ महंगाई न बढ़ने देने जैसी अनेकों उपलब्धियां इस सरकार के खाते में दर्ज हैं।

भारत-पाक संबंधों को सुधारने, देश की आंतरिक समस्याओं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के राज्यों में अलगाववाद पर कईं प्रभावी कदम उठाए गये। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ कर सुशासन एवं सुरक्षा को केन्द्र में रखकर देश को समृद्ध एवं समर्थ बनाने की दिशा में अनेक निर्णायक कदम उठाये गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राजग शासन ने देश में विकास की एक नई राजनीति का सूत्रपात किया।

## वर्तमान स्थिति

आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर चुकी है एवं देश के सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कृतसंकल्प है।

10 साल पार्टी ने विपक्ष की सक्रिय और शानदार भूमिका निभाई। 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जो आज 'सबका साथ, सबका विकास' की उद्घोषणा के साथ गौरव सम्पन्न भारत का पुनर्निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा लगभग 11 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गयी है।

26 मई, 2014 को श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने विश्व में भारत की गरिमा को पुनःस्थापित किया, राजनीति पर लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया। अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से नए युग की शुरुआत की। अन्त्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश बढ़ चला है। आर्थिक और सामाजिक सुधार सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों के लिये ऋण

से लेकर खाद तक की नयी नीतियां जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, आदि ने कृषि के तीव्र विकास की अलख जगायी है। ये नया युग है सुशासन का। चाहे आदर्श ग्राम योजना हो, स्वच्छता अभियान या फिर योग के सहारे भारत को स्वथ्य बनाने का अभियान, इन सभी कदमों से देश को एक नयी ऊर्जा मिली है। भाजपा की मोदी सरकार ने 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया', अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जनधन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नयी क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है।

## भारतीय राजनीति में भाजपा का योगदान

- राष्ट्रीय अखण्डता, कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय, कबाइली वेश में पाकिस्तानी आक्रमण के प्रतिकार, परमिट व्यवस्था एवं धारा 370 की समाप्ति व पृथकतावाद से निरन्तर संघर्ष करने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनसंघ या भाजपा है, अन्यथा कश्मीर का बचना कठिन था।
- गोवा मुक्ति आंदोलन, सत्याग्रह एवं बलिदान। बहुत दबाव के बाद ही सरकार ने सैनिक कार्यवाही की।
- बेरुबाड़ी एवं कच्छ समझौते हमारी राष्ट्रीय अखण्डता के लिए चुनौती थे। भाजपा ने इस चुनौती का सामना किया।
- आज भी देश में राष्ट्रीय अखण्डता के मुद्दे उठाना पृथकतावाद से जूझना एवं इस निमित्त समाज को निरन्तर जाग्रत रखने का काम भाजपा ही कर रही है।
- देश को परमाणु शक्ति सम्पन्न कर भारत पर हमलों की हिमाकत करने वालों को अटलजी की सरकार ने सीधा संदेश दिया।

## लोकतंत्र: विकास एवं रक्षा

- प्रथम चरण में जब स्वतंत्रता आंदोलन के सभी नेता सत्ता पक्ष में जा बैठे थे, विपक्ष या तो था ही नहीं या राष्ट्रभक्ति से शून्य वामपंथियों के पास था तब जनसंघ ने चुनौती को स्वीकार किया तथा भारत के लोकतंत्र को भारतीय

जनसंघ के रूप में सबल विपक्ष दिया। 1967 में जनसंघ दूसरा बड़ा दल बन गया था।

- चुनाव सुधार के मुद्दे उठाने वाला एकमात्र राजनीतिक दल जनसंघ या भाजपा ही है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमारी पार्टी ने बल दिया और उनका उल्लंघन नहीं होने दिया।
- आपातकाल के प्रतिकार की कहानी हमारी लोकतंत्रात्मक निष्ठा को पुष्ट करती है।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो विपक्ष उभरा, वही विकल्प बनने में भी सक्षम था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय लोकतंत्र में विकल्प के नियामक हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए अपेक्षित अखिल भारतीय संगठन एवं नेतृत्व आज केवल भाजपा के पास है।

## विचारधारा

- राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है। समाज को अपेक्षित दिशा में प्रगति पथ पर ले जाना भी उसका कार्य है। इसके लिये संगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो संगत विचारधारा से प्राप्त होता है। आज भारत के सभी राजनैतिक दल विचारधारा शून्यता के शिकार हैं। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद तथा पंचनिष्ठाओं की संगत विचारधाराओं के आधार पर संगठन का नियमन कर रही है। शासन की नीति में भी इनका समुचित प्रतिबिम्बन होगा।

## सुशासन

- ध्येनिष्ठ कार्यकर्ताओं की शक्ति एवं सरकार का सुनियमन सुशासन की गारंटी है। छः साल का केन्द्रीय शासन एवं प्रदेशों में भाजपा की सरकारों ने अन्य दलों की सरकारों की तुलना में अच्छा शासन दिया है। गत तीन वर्षों से श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक सुशासन की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। व्यवस्थाओं की पुरानी विकृतियों का शमन करने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा।

❑❑❑

# सैद्धांतिक अधिष्ठान

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है--भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएं और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प; और साथ ही यह आत्मविश्वास कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे।

भाजपा की विचारधारा को एक पंक्ति में कहना हो तो वह है 'भारत माता की जय'। भारत का अर्थ है 'अपना देश'। देश जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है और जिसे प्रकृति ने एक अखंड भूभाग के रूप में हमें दिया है। यह हमारी माता है और हम सभी भारतवासी उसकी संतान हैं। एक मां की संतान होने के नाते सभी भारतवासी सहोदर यानि भाई-बहन हैं। भारत माता कहने से एक भूमि और एक जन के साथ हमारी एक संस्कृति का भी ध्यान बना रहता है। इस माता की जय में हमारा संकल्प घोषित होता है और परम वैभव में है मां की सभी संतानों का सुख और अपनी संस्कृति के आधार पर विश्व में शांति व सौख्य की स्थापना। यही है 'भारत माता की जय'।

भाजपा के संविधान की धारा 3 के अनुसार एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन है। यह दर्शन हमें मनुष्य के शरीर, मन, बृद्धि और आत्मा का एकात्म यानि समग्र विचार करना सिखाता है। यह दर्शन मनुष्य और समाज के बीच कोई संघर्ष नहीं देखता, बल्कि मनुष्य के स्वाभाविक विकास-क्रम और उसकी चेतना के विस्तार से परिवार, गाँव, राज्य, देश और सृष्टि तक उसकी पूर्णता देखता है। यह दर्शन प्रकृति और मनुष्य में मां का संबंध देखता है, जिसमें प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखते हुए अपनी आवश्यकता की चीज़ों का दोहन किया जाता है।

भाजपा के संविधान की धारा 4 में पांच निष्ठाएं वर्णित हैं। एकात्म मानववाद और ये पांचों निष्ठाएं हमारे वैचारिक अधिष्ठान का पूरा ताना-बना बुनती हैं।

**(1) राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता:** हमारा मानना है कि भारत राष्ट्रों का समूह नहीं है, नवोदित राष्ट्र भी नहीं है, बल्कि यह सनातन राष्ट्र है। हिमालय से कन्याकुमारी तक प्रकृति द्वारा निर्धारित यह देश है। इस देश-भूमि को देशवासी माता मानते हैं । उनकी इस भावना का आधार प्राचीन संस्कृति और उससे मिले

जीवनमूल्य हैं। हम इस विशाल देश की विविधता से परिचित हैं। विविधता इस देश की शोभा है और इन सबके बीच एक व्यापक एकात्मता है। यही विविधता और एकात्मता भारत की विशेषता है। हमारा राष्ट्रवाद सांस्कृतिक है केवल भौगोलिक नहीं। इसीलिए भारत भू-मंडल में अनेक राज्य रहे, पर संस्कृति ने राष्ट्र को बांधकर रखा, एकात्म रखा।

**(2) लोकतंत्रः** विश्व की प्राचीनतम ज्ञात पुस्तक ऋग्वेद का एक मंत्र 'एकं सद विप्राः बहुधा वदन्ति उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है, सत्य एक ही है। विद्वान इसे अलग-अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। भारत के स्वभाव में यह बात आ गई है कि किसी एक के पास सच नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वह भी सही है, आप जो कह रहे हैं वह भी सही है। विचार स्वातंत्र्य (फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन) का आधार यह मंत्र है।

संस्कृत में एक और मंत्र है- 'वादे वादे जयते तत्त्व बोधः' । इसका अर्थ है चर्चा से हम ठीक तत्त्व तक पहुँच जाते हैं। चर्चा से सत्य तक पहुंचने का यह मंत्र भारत में लोकतंत्रीय स्वभाव बनाता है। इन दोनों मन्त्रों ने भारत में लोकतंत्र का स्वरूप गढा-निखारा है। भारतीय समाज ने इसी लोकतंत्र का स्वभाव ग्रहण किया है। लोकतंत्र भारतीय समाज के अनुरूप व्यवस्था है।

भाजपा ने अपने दल के अंदर भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूती से अपनाया है। भाजपा संभवतः अकेला ऐसा राजनीतिक दल है, जो हर तीसरे साल स्थानीय समिति से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नियमित चुनाव कराता है। यही वजह है कि चाय बेचने वाला युवक देश का प्रधानमंत्री बना है और इसी तरह सभी प्रतिभावान लोगों का पार्टी के अलग-अलग स्तरों से लेकर चोटी तक पहुंचना संभव होता रहा है।

सत्ता का किसी एक जगह केन्द्रित होना लोकतंत्रीय स्वभाव के विपरीत है। इसीलिए लोकतंत्र विकेन्द्रित शासन व्यवस्था है। केन्द्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत सभी के काम और ज़िम्मेदारियां बंटी हुई हैं। सब को अपनी-अपनी जिम्मेदारियां भारत के संविधान से प्राप्त होती हैं। संविधान द्वारा मिली अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सभी (केंद्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत) स्वतंत्र हैं। इसीलिए गांव के लोग पंचायत द्वारा गांव का शासन स्वयं चलाते हैं । और यही इनके चढ़ते हुए क्रम तक होता है।

लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा आपातकाल में जगजाहिर हुई। 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल घोषित कर दिया था। नागरिकों के प्रकृति-प्रदत्त मौलिक अधिकार भी निरस्त कर दिए गए थे। यहां तक कि जीवन का अधिकार भी छीन लिया गया था। तत्कालीन जनसंघ (अब भाजपा) नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था और पार्टी दफ्तरों पर सरकारी ताले डाल दिए गए थे। अखबारों पर भी सेंसरशिप लागू हो गई थी।

लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ही हम (यानि तत्कालीन जनसंघ के कार्यकर्ता) भूमिगत अहिंसक आंदोलन खड़ा कर सके। समाज को संगठित करके एक बड़ा संघर्ष किया। असंख्य कार्यकर्ताओं ने पुलिस का दमन, जेल यातना और काम धंधे (रोजी-रोटी) का नुकसान सहा। इसी संघर्ष का परिणाम था 1977 के आम चुनावों में जनता जनार्दन की शक्ति सामने आई और इंदिरा जी की तानाशाह सरकार धराशाई हो गई।

**(3) सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण; जिससे शोषणमुक्त और समतायुक्त समाज की स्थापना हो सके:** गांधीवादी सामाजिक दृष्टिकोण भेदभाव और शोषण से मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना है। दुर्भाग्य से एक समय में, जन्म के आधार पर छोटे या बड़े का निर्धारण होने लगा, अर्थात् जाति व्यवस्था विषैली होकर छुआछूत तक पहुंच गई। भक्ति काल के पुरोधाओं से लेकर महात्मा गांधी व डॉ अम्बेडकर को इससे समाज को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज भी यह विषमता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

यही वजह है कि अनुसूचित जाति के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव होते हैं और उन्हें यह अहसास कराया जाता है कि वे बाकी जातियों से कमतर हैं। शिक्षित और धनवान हो जाने से भी यह विषमता दूर नहीं होती। भारतीय संविधान के रचयिता डॉ अम्बेडकर ने विदेश से पीएचडी कर ली थी। फिर भी वह जिस कॉलेज में पढ़ाते थे वहां उनके पीने के पानी का घड़ा अलग रखा जाता था। भाजपा इसे स्वीकार नहीं करती। हम मानते हैं कि सभी में एक ही ईश्वर समान रूप से विराजता है। मनुष्य मात्र की समानता और गरिमा का यह दार्शनिक आधार है। देश को सामाजिक शोषण से मुक्त कराकर समरस समाज बनाना हमारी आधारभूत निष्ठा है।

किसी एक राज्य या कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता के केन्द्रीकरण के अपने खतरे होते हैं और यह स्थिति सत्ता में भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। लेकिन गांधीजी की मांग सही साधनों पर भरोसा करने की भी थी। उन्होंने किसी 'वाद' को जन्म नहीं दिया, बल्कि उनके दृष्टिकोण जीवन के प्रति एकात्म प्रयास को उजागर करते हैं।

महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के आधार पर भाजपा भी आर्थिक शोषण के खिलाफ है और साधनों के समुचित बंटवारे की पक्षधर है। हम इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि कमाने वाला ही खाएगा। हमारी दृष्टि में कमा सकने वाला कमाएगा और जो जन्मा है वह खाएगा। हमारा मानना है कि समाज और राज्य सबकी चिन्ता करेंगे। दीनदयालजी मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और रोज़गार को भी जोड़ते थे। आर्थिक विषमताओं की बढ़ती खाई को पाटा जाना चाहिए। अशिक्षा, कुपोषण और बेरोज़गारी से एक बड़ा युद्ध लड़कर ''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' का आदर्श प्राप्त करना हमारी मौलिक निष्ठा है। हमारे गांधीवादी दृष्टिकोण ने यह सिखाया है कि इसके लिए हमें विचार या तंत्र बाहर से आयात करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपनी बुद्धि, प्रतिभा और पुरुषार्थ से हम इसे पा सकते हैं।

**(4) सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता एवं सर्वपंथसमभावः** एक समय पश्चिमी देशों में पोप और पादरियों का राजकाज में अत्यधिक नियंत्रण हो गया था। अगर कोई अपराध करता था तो चर्च में एक निर्धारित राशि का भुगतान करके वह अपराधमुक्त होने का प्रमाण पत्र ले सकता था। नतीजा यह हुआ कि शासन में धर्म के असहनीय हस्तक्षेप का विरोध शुरू हो गया। विरोधियों का तर्क था कि धर्म घर के अंदर की वस्तु है। इस विरोध आन्दोलन से धर्मनिरपेक्षता का प्रादुर्भाव हुआ।

भारत में धर्म किसी पुस्तक, पैगम्बर या पूजा पद्धति में निहित नहीं है। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ है जीवन शैली। अग्नि का धर्म है दाह करना और जल का धर्म है शीतलता। राजा को कैसे रहना और व्यवहार करना है यह है उसका राज-धर्म, पिता की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, उसे क्या करना चाहिए, यह है पितृ-धर्म। इसी तरह पुत्र-धर्म और पत्नी-धर्म हैं। इसीलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से निरपेक्ष हो जाना नहीं है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्व पंथ समादर भाव है। शासक किसी पंथ को, किसी भी पूजा पद्धति को राज-पंथ, राज-धर्म या राज-पद्धति नहीं मानेगा।

वह सभी धर्मों, पंथों एवं पद्यतियों को समान आदर देता है। हमारा उद्देश्य है, न्याय सबके लिए और तुष्टिकरण किसी का नहीं। इसका व्यावहारिक अर्थ है 'सबका साथ सबका विकास'। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हिन्दओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिन्दुओं से नहीं लड़ना है, बल्कि दोनों को मिल कर गरीबी से लड़ना है।

**(5) मूल्य आधारित राजनीतिः** भाजपा ने जो पाचंवा अधिष्ठान अपनाया है वह है 'मूल्य आधारित राजनीति'। एकात्म मानववाद मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास करता है। नियमों और मूल्यों के निर्धारण के वायदे के बिना राजनीतिक गतिविधि सिर्फ निज स्वार्थपूर्ति का खेल है। भाजपा 'मूल्य आधारित राजनीति' के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह सार्वजनिक जीवन का शुद्धिकरण एवं नैतिक मूल्यों की पुनःस्थापना उसका लक्ष्य है।

आज देश का संकट मूल रूप से नैतिक संकट है और राजनीति विशुद्ध रूप से ताकत का खेल बन गई है। यही वजह है कि देश नैतिक ताकत के लुप्तिकरण से जूझ रहा है और मुश्किलों का सामना करने की अपनी क्षमता को खोता जा रहा है। जब हम इन पांचों निष्ठाओं की बात करते हैं तो अपने आसपास या देश में घटे कुछ ऐसे प्रसंग ध्यान में आते हैं, जिनसे लगता है कि हम हर स्तर पर पूरी तरह सभी निष्ठाओं का पालन करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। पर, हम यह विश्वास से कह सकते हैं कि ये निष्ठाएं हमारे लिए प्रकाश-स्तम्भ की तरह हैं। हम सबको यह प्रयत्न करते रहना ज़रूरी है कि हम अपना जीवन और अपनी पार्टी को इन निष्ठाओं के आधार पर चलाएं।

❑❑❑

# ग्राम समाज तथा पंचायत

## जागरूक पंचायत–खुशहाल गाँव

'यूनान, मिस्र, रोमा, सब मिट गये जहाँ से..., कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी...।'' वह कौन सी ताकत है जो भारत की संस्कृति को सदियों से अक्षुण्ण रखे हुए है? वह ताकत है हमारे गाँव, जिनके अस्तित्व से ही भारत का अस्तित्व है। महात्मा गांधी ने कहते थे कि '' गाँव उतने ही पुराने हैं, जितना कि यह भारत पुराना है। यदि गाँव नष्ट हो जाएं तो हिन्दुस्तान भी नष्ट हो जाएगा''। वैदिक काल से लेकर आज तक का इतिहास बताता है कि भारत की समृद्धि का रहस्य गाँवों की समृद्धि में छिपा है। दुनिया में कितनी भी उथल–पुथल हो, परन्तु भारत के गाँवों में बहुत कुशलता से इन सबका सामना करने की अद्भुत क्षमता है। इसका जीता–जागता सबूत है 2008 की वैश्विक मंदी का दौर, जिससे भारत के गाँव पूरी तरह अछूते रहे और भारत की अर्थव्यवस्था उस मंदी में भी सुरक्षित रही।

## आर्थिक विकास के इंजन गाँव

इस समय हमारे देश में करीब साढे. छह लाख गाँव हैं। इसी कारण भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। वैसे, पश्चिमी विचारकों ने भारत को एक पिछडे. और अविकसित देश के रूप में आरोपित करने की मंशा से यह बात कही थी, किन्तु तथ्य बताते हैं कि भारत वैदिक काल से लेकर अंग्रेजी राज कायम होने तक कभी भी अविकसित नहीं रहा। उस समय का इतिहास खंगालें तो पता चलता है कि भारत आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक सभी दृष्टियों से बहुत संपन्न रहा है। और इस संपन्नता का रहस्य भारत के गाँवों में ही छिपा है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जहां आर्थिक विकास व प्रशासन की इकाई गाँव रहे हैं। यही कारण है कि भारत में राजा आते–जाते रहे, साम्राज्य में चाहे कितनी भी उथल–पुथल रही हो, परन्तु गाँव व देश का विकास कभी प्रभावित नहीं हुआ और भारत दुनिया के सबसे खुशहाल और समृद्ध देशों में गिना जाता रहा।

अन्तर तब आया जब अंग्रेजों ने ब्रिटेन से यहां आकर अपना राज संचालित करने की नीयत से केन्द्रीयकृत शासन व्यवस्था मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से तहस–नहस किया।

गाँव देश के आर्थिक विकास के इंजन हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के प्राण गाँवों में निहित हैं। भारत को आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से दुनिया का सिरमौर बनाने की दृष्टि से वर्तमान ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के सभी ग्राम पंचायत सदस्यों व इससे जुड़े अन्य सभी जनप्रतिनिधियों की रचनात्मक एवं नवोन्मेशी भूमिका से इस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों का यह सौभाग्य है कि जनता ने उन्हें एक ऐसी समृद्ध व गौरवशाली परम्परा का प्रतिनिधि चुना है जिससे वे देश की समृद्धि में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा सकें।

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 2,51,000 पंचायतें हैं। इनमें 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं, 6904 ब्लॉक पंचायतें अथवा पंचायत समिति हैं और 589 जिला पंचायतें हैं। इन सभी का प्रतिनिधित्व 29,16,000 निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं जिनमें 27,32,000 लाख ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, 1,68,000 पंचायत समिति प्रतिनिधि और 16,000 जिला पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं।

❑❑❑

# पंचायतों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश के सर्वोन्नमुखी विकास के लिए विकेन्द्रीकरण को महत्व दिया। इस दृष्टि से देखें तो वैदिक काल से ही भारत के गाँव विकेन्द्रीकृत व्यवस्था का साकार रूप रहे हैं। प्राचीन काल में वेदों में राज्य की प्रशासनिक इकाई के रूप में गाँवों का उल्लेख मिलता है। गाँव की व्यवस्था देखने के लिए राज्य की ओर से नियुक्त अधिकारी का पदनाम 'ग्रामीण' था। वह अधिकारी पंचायत का प्रमुख होता था और गाँव की आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। 'शतपथ ब्राह्मण' में ग्राम मुखिया के रूप में ''ग्रामीणी' का उल्लेख है। यह अधिकारी गाँव की प्रशासनिक व्यवस्था देखने के साथ–साथ राजस्व संग्रह करने और सैनिक अधिकारी की भूमिका भी निभाता था।

ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 1000 के मध्य प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रशासन के कई ईकाइयों में वर्गीकृत होने का उल्लेख है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' था, इसके ऊपर 'दशग्राम', 'विंशति ग्राम' (बीस गाँव), 'शतग्राम', 'सहस्र ग्राम' और फिर राज्य था। इनके अधिकारियों में ग्राम पंचायत के अधिकारी 'ग्रामिक' और अन्य क्रमशः विंशतीय, शतग्रामी, अधिपति और राजा होते थे।

## महाजनपदों का काल

महाजनपदों के काल में (600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व) शासन की इकाई ग्राम थे, जिसका शासक 'ग्रामयोजक' कहलाता था। गाँव के सभी मामलों को सुलझाने की जिम्मेदारी उसी की थी और वह कृषि और व्यापार का ध्यान रखता था। ग्राम पंचायत को 'ग्राम सभा' कहा जाता था और उसके मुखिया 'ग्राम योजक' का चुनाव 'सभा' द्वारा होता था। 'ग्राम योजक' के कार्य के विरुद्ध राजा के समक्ष अपील की जा सकती थी। राजा 'ग्राम योजक' को हटा सकता था।

## मौर्य काल

चन्द्रगुप्त मौर्य के काल (322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व) में आचार्य चाणक्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करते समय

ग्राम, संग्रहण, खार्वाटिक, द्रोणमुखी, स्थानीय और जनपद का उल्लेख किया है। 'ग्राम' राजस्व और न्याय व्यवस्था की इकाई था। ग्राम प्रमुख 'ग्रामिक' होता था, जिसकी नियुक्ति शासन करता था। उसकी सहायता के लिए 'ग्राम सभा' होती थी, जिसके सदस्य वयोवृद्ध ग्रामवासियों द्वारा चुने जाते थे। 'ग्राम सभा' को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त थे। सड़क, पुल, पोखर निर्माण आदि सार्वजनिक कार्यों की देखभाल ग्राम सभा करती थी। इसी प्रकार 'संग्रहण' दस गाँवों के बीच प्रशासनिक इकाई थी, जिसका प्रमुख 'गोप' कहलाता था। वह गाँवों का पूरा विवरण रखता था। 'खार्वाटिक' 200 गाँवों के केन्द्र पर एक प्रशासनिक इकाई थी। इसी प्रकार 'द्रोणमुखी' 400 गाँवों के केन्द्र में प्रशासनिक इकाई थी। 'स्थानीय' 800 गाँवों के केन्द्र में प्रशासनिक इकाई थी, यानि वर्तमान जिला पंचायत के समकक्ष। इसी प्रकार 'जनपद' यानि वर्तमान में प्रदेश के समकक्ष।

## गुप्तकाल

गुप्तकाल में (320 ईसवी से 550 ईसवी), जिसे भारत में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, शासन की प्राथमिक इकाई 'ग्राम' होता था, जिसका मुखिया 'ग्रामिक', 'महार' अथवा 'योजक' कहलाता था, जो एक सरकारी अधिकारी होता था। 'ग्रामिक' के अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों में जो अहम अधिकारी होते थे उनमें प्रमुख थे–अष्टकुलाधिकरण (आठ कुलों का निरीक्षक), शौल्किक (शुल्क वसूल करने वाला), गौल्मिक (वन–उपवन निरीक्षक), अग्रहारिक (ब्राह्मणों को दिये हुए ग्रामों की देखभाल करने वाला), ध्रुवाधिकरण (भूमिकर का अध्यक्ष), भांडागाराधिकृत (भंडार का अध्यक्ष), तालवाटक (गाँव का लेखा–जोखा रखने वाला), अक्षपटलिक (कागज पत्रें का संरक्षण/लेखक), करणिन (रजिस्ट्रार), कतृर् अथवा शासयितृर् (कागज पत्रें की पांडुलिपि बनाने वाला)। गुप्तकाल में कई गाँवों को मिलाकर बनी प्रशासनिक इकाई 'विषय' कहा जाता था जो वर्तमान जिले के समकक्ष थी। इसका अधिकारी विंशपति, कुमारामात्य अथवा महाराज कहलाता था। इसी प्रकार कई 'विषयों' को मिलाकर जो इकाई बनती थी उसे 'प्रदेश' कहा जाता था। इसके बाद प्रशासन की जो सबसे बडी इकाई थी उसे प्रान्त अथवा देश कहा जाता था। प्रांतीय शासक यागिक, योगपति, गोपा, उपरीक और राज स्थानीय कहलाते थे।

## चोल वंश

दक्षिण भारत में चोल वंश (300 ईसा पूर्व से 1279 ईसवी) के अन्तर्गत स्थानीय स्वशासन में ग्राम बहुत महत्वपूर्ण थे। ग्राम पंचायत 'महासभा' कहलाती थी, जिसका मुखिया 'ग्रामिक' कहलाता था। महासभा के सदस्यों का चुनाव ग्रामवासी करते थे। चुनाव एक वर्ष के लिए होता था। किसी अपराध में दंडित, बेईमान व दुराचारी व्यक्ति चुनाव के लिए अयोग्य होता था। प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए 'महासभा' में विभिन्न समितियां गठित की जाती थी, जैसे कि पंचावर वारीयम् (सामान्य प्रबंध समिति), उपवन समिति, सिंचाई समिति, कृषि समिति, लेखा जोखा समिति, भूमि प्रबंध समिति, मार्ग समिति व देवालय समिति, आदि। ग्राम महासभा का गाँव की भूमि पर पूरा अधिकार होता था। महासभा भूमिकर वसूलती थी और उसे स्थानीय अपराधों के सबंध में न्याय करने का पूरा अधिकार था। महासभा का दायित्व मठों के माध्यम से तमिल व संस्कृत भाषा और साहित्य की शिक्षा का प्रबंध करना, गाँव की सुरक्षा, सड़क, सिंचाई, मनो–विनोद आदि की व्यवस्था करना भी था। मध्यकाल (1200 से 1526 ईसवीं) में गाँव स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई थे। इसे राज्य की मूल इकाई कहा जा सकता है। गाँवों की प्रबंध व्यवस्था के लिए विभिन्न अधिकारी नियुक्त किये जाते थे।

## मध्य काल

मध्य काल (1526 से 1707) में गाँव प्रशासन की मूल इकाई थे। 'आइन–ए–अकबरी' के अनुसार परगनों के नीचे प्रशासनिक इकाई गाँव थे। पंचायतें गाँव का प्रबंध करती थी। गाँव में चार महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे – मुकद्दम (गाँव की देखभाल करने वाला), पटवारी (लगान वसूली करने वाला), चौधरी (पंचायत की सहायता से विवाद सुलझाने वाला) और चौकीदार (गाँव की सुरक्षा करने वाला)।

## अंग्रेजी शासन में पंचायतें

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वैदिक काल से लेकर मध्य काल तक भारत के प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था के संरक्षण एवं संवर्धन में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि शासक और शासन में परिवर्तन के बावजूद भी भारत की प्रशासनिक,

आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था अबाध गति से चलती रही। अंग्रेजों ने इस हकीकत को अच्छी तरह समझा। उन्हें लगा कि यदि भारत की ग्राम पंचायतें इसी तरह निर्बाध रूप से चलती रही तो लंदन में बैठकर भारत पर राज करना उनके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ग्राम पंचायत व्यवस्था को ही तहस–नहस किया और गाँववालों को तरह–तरह से प्रताड़ित व दंडित कर उन्हें आतंकित किया। गाँववालों पर सामूहिक जुर्माने करना और बर्बरतापूर्वक सामूहिक व सार्वजनिक रूप से उन्हें पेड़ों पर लटकाकर फांसी देना इसी नीति का सुनियोजित हिस्सा था। अंग्रेजों के इन अत्याचारों के कारण ही 1857 में पहला बडा स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके बाद बंगभंग आंदोलन ने देश में अंग्रेजों के खिलाफ नयी चेतना जागृत कर दी। देशभर में फैली इस स्वातंत्र्य चेतना को कुंठित करने के लिए ही लिए अंग्रेज सरकार ने पंचायतों के संबंध में रॉयल कमीशन की 1909 में आयी रिपोर्ट की सिफारिशों को सिद्धांत रूप से स्वीकार तो किया, परंतु व्यवहार में उनकी पूर्णतया उपेक्षा की। बहुत ही कम ग्रामों में पंचायतें बनीं और जो बनीं भी, वे सरकार द्वारा पूरी तरह नियंत्रित थीं। यह वास्तव में पंचायतों को परावलम्बी बनाने की शुरूआत थी। इसके बाद विभिन्न प्रांतों में ग्राम पंचायत अधिनियम अलग–अलग समय पर लागू किये गये। इनमें प्रमुख थे पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियिम–1912, बंगला स्थानीय सरकार अधिनियम–1919, मद्रास स्थानीय सरकार अधिनियम–1920, बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम–1920, उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम–1920, बिहार स्वसरकार अधिनियम–1920, सीपी पंचायत अधिनियम 1920, असम स्वसरकार अधिनियम–1925 और मैसूर ग्राम पंचायत अधिनियम–1928, आदि। महात्मा गांधी अंग्रेज सरकार की इन छद्म नीतियों से बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने 28 मई, 1931 को 'यंग इंडिया' में लिखा कि पंचायत पद्धति को पुनर्जीवित करने का आधा–अधूरा प्रयास किया गया। यह प्रयत्न पहले 1921 में किया गया था लेकिन तब असफल रहा। अब वही काम दोबारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में गांधीजी ने 'यंग इंडिया' के उसी अंक में लिखा कि ''पंचायत हमारा बडा पुराना और सुंदर शब्द है। उसके साथ प्राचीनता की मिठास घुली हुई है।'' गांधीजी ग्राम पंचायत को एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि पंचायत का संचालन पूरी तरह लोकतांत्रिक पद्धति से हो।

❑❑❑

# स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था

संविधान निर्माताओं ने ग्राम पंचायतों के महत्व को समझते हुए राज्य के नीति–निर्देशक तवों के तहत संविधान के 40वें अनुच्छेद में उल्लेख किया कि ''राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वाया शासन की ईकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।'' इस प्रावधान के तहत 1952 में ग्राम पंचायत अधिनियम बना और पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पंचायतें गठित करने की व्यवस्था की गयी। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा में 2 सितम्बर, 1959 को पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम पारित किया गया और 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के 'बगदरी' गाँव में नयी पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात् आन्ध्र प्रदेश में 11 अक्तूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। 1960 में असम, मद्रास और कर्नाटक में, 1962 में पंजाब व महाराष्ट्र में और 1964 में पश्चिम बंगाल में तथा उसके बाद अन्य राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। इस नयी व्यवस्था के निर्माण में बलवंत राय मेहता समिति की 1957 में आई सिफारिशों की बडी भूमिका थी। 1952 के ग्राम पंचायत अधिनियिम में अनूसूचित जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। उन्हें आरक्षण प्रदान करने के लिए इस अधिनियम में 1961 में आवश्यक संशोधन किया गया। इसके बाद 1977 में बनी अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पंचायती राज को लेकर नये कानून बने।

## पंचायती राज संशोधन 1992 (73वां संविधान संशोधन)

देश में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक देश की पंचायती राज शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अभी तक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत सभी राज्यों में एक ही प्रकार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गयी और महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण तथा अनुसूचित

जातियों व जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी। निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग और पंचायतों को संसाधन प्रदान करने के लिए इस विधेयक में वित्तीय आयोगों का प्रावधान भी किया गया। 29 विषयों की एक अनूसूची बनायी गयी, जिनके संबंध में शक्तियों के हस्तातंरण का उारदायित्व विधानमंडलों को सौंपा गया। 1994 में देशभर में नयी पंचायत राज व्यवस्था लागू कर दी गयी। संविधान के नौवें अध्याय की धारा 243 में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार से विवरण है।

## पंचायती राज अधिनियम 1992 के प्रमुख प्रावधान

ग्राम सभाः अनुच्छेद 243ए के अनुसार ग्राम सभा पंचायती राज की प्राथमिक इकाई है। किसी भी पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों के सम्मिलित समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत सभी राज्यों में ग्राम सभा को संवैधानिक संस्था का रूप दिया गया है। अधिनियम में यह प्रावधान है कि ग्राम सभा की वर्ष में दो बैठकें होंगी। यदि आवश्यकता हो तो विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। बैठक ग्राम सरपंच द्वारा बुलायी जाएगी और वह उसकी अध्यक्षता करेगा/करेगी। बैठक में ग्राम सचिव भी मौजूद रहेगा और खंड विकास अधिकारी या उसका प्रतिनिधि भी आएगा। बैठक में ग्राम सभा सदस्यों की 10/1 संख्या अनिवार्य हैं, लेकिन बैठक स्थगित होने पर दोबारा हुई बैठक में यह संख्या आवश्यक नहीं होगी। पंचायत की प्रत्येक बैठक से 15 दिन पूर्व पूरे गाँव को होने वाली बैठक के बारे में सूचना दी जाती है और गाँव के मुख्य स्थानों पर नोटिस लगाया जाता है। पंचायत की प्रत्येक बैठक में सरपंच और पंचों का भाग लेना जरूरी है। इस बैठक में गाँव में कार्यरत सभी कर्मचारियों, संबंधित खंड विकास और पंचायत या विस्तार अधिकारियों का भाग लेना आवश्यक है। बैठक में गाँव की समस्याओं का निबटान और आगे की योजनाओं पर विचार–विमर्श किया जाता है। गाँव के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वार्षिक कार्ययोजना बनायी जाती है।

**तीन स्तरीय प्रणालीः** अनुच्छेद 243बी में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् सहित त्रि–स्तरीय पंचायत का प्रावधान है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पंचायत समिति के गठन की जरूरत नहीं है।

**ग्राम पंचायत की स्थापना:** कम से कम 500 या उससे अधिक जनसंख्या पर पंचायत गठित करने का प्रावधान है। परन्तु 500 से कम जनसंख्या वाले गावों के मामले में सरकार छूट दे सकती है।

**पंचों की सख्या:** कम से कम छह और अधिक से 20 पंच तथा सरपंच का पद अलग से होगा।

**पंचायत समिति की स्थापना:** पंचायत समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इसमें कम से कम 10 और अधिक से अधिक 30 सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा होता है। समिति में विधायकों व सांसदों को पदेन सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इन सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव और उनके निर्वाचन को छोड़कर समस्त कार्यवाही में मत देने का अधिकार है। पंचायत समिति की वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित होती हैं।

**जिला परिषद्:** जिला परिषद् में जिले की जनसंख्या के आधार पर कम से कम 10 और अधिक से अधिक 30 सदस्य होते हैं और परिषद् सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जिले की सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष, संबंधित जिले के विधायक व सांसद इसके पदेन सदस्य होते हैं। जिला परिषद् के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। जिला परिषद् की एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित होती हैं।

**अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण:** प्रत्येक स्तर पर संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व देकर सीटों की संख्या निर्धारित की जाती है।

**महिलाओं के लिए आरक्षण:** महिलाओं को, जिनमें अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाएं भी शामिल हैं, प्रत्येक स्तर पर एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जाता है। महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का मुद्दा काफी समय से चर्चा में है किन्तु इस दिशा में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

**आरक्षित सीटों का प्रावधान:** प्रत्येक दशक की जनगणणा के बाद पुनः समीक्षा किये जाने का प्रावधान है।

**सरपंच, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद पर आरक्षण:** अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए

प्रतिनिधित्व दिया जाता है। महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएं भी शामिल हैं, जिस ग्राम पंचायत में दो प्रतिशत या उससे अधिक पिछडे.वर्ग की जनसंख्या हो, वहां पर एक सीट आरक्षित की जाती है।

पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का मुद्दा राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया।

**पंचायती राज संस्थाओं की अवधिः** अनुच्छेद 243ई के अनुसार ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष होती है। यदि इन्हें भंग किया जाता है तो उनका चुनाव छह महीने के भीतर कराये जाने का प्रावधान है।

**जरूरी योग्यताएं:** उम्मीदवार की आयू न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। वह न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए। संबंधित पंचायती राज क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। भ्रष्टाचार, आतंकवाद व बूथ कैप्चरिंग, नशे की बिक्री, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान या कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज होने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामलों में सजा होने पर छह साल तक चुनाव लडने पर रोक लग सकती है।

ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति (ब्लॉक समिति) और जिला परिषद् ये सभी संस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जिला परिषद् को पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समिति को ग्राम पंचायतों को निर्देश देने व उनके कार्य की निगरानी करने का अधिकार है। पंचायती राज अधिनियम के कुछ अन्य प्रमुख प्रावधान निम्न हैंः

- पंचायत समिति द्वारा लिखित निर्देश मिलने पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलायी जाती है।
- ग्राम पंचायत को ग्राम सचिव के अलावा अन्य कर्मचारियों की भर्ती करने से पहले पंचायत समिति की अनुमति लेनी होती है।
- पंचायत समिति सीधे तौर पर अपने अधीन ग्राम पंचायतों को कार्य सौंप सकती है।
- पंचायत समिति की सहमति से ग्राम पंचायत मेलों व मंडियों का आयोजन कर सकती है।
- जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को किसी भी ग्राम पंचायत के रिकार्ड, बहियों तथा कार्यवाहियों के निरीक्षण की

अनुमति दे सकता है।

- यदि कोई ग्राम पंचायत जान–बूझकर पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा दिये गये निर्देशों को नहीं मानती तो सरकार द्वारा ऐसी पंचायतों को स्पष्टीकरण देने के अवसर प्रदान करने के बाद विघटित कर सकती है।
- पंचायत समिति की बैठक में पास किये गये प्रस्ताव की प्रति तीन दिन के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला परिषद् को भेजी जाती है।
- पंचायत समिति अपने क्षेत्र में पंचायतों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करने के लिए सरकारी एजेंसी होती है।
- पंचायत समिति खंड में ग्राम पंचायतों पर देखरेख की सामान्य शक्तियों का प्रयोग करती है। निर्देशों को प्रभावी बनाना ग्राम पंचायतों का कर्तव्य होता है।
- जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र की किसी भी पंचायत समिति का काम देख सकता है। पंचायत समिति अपने बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकरी को भेजती है।
- धारा 210 के तहत पंचायत समिति द्वारा लिये जाने वाले किसी भी फैसले के विरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् को अपील की जा सकती है।
- जिला परिषद् जिले की पंचायत समितियों को सलाह देती है व उनके कार्यों की देखरेख तथा समन्वय का कार्य करती है।
- ग्राम पंचायत का बजट ग्राम सभा, पंचायत समिति का बजट जिला परिषद् तथा जिला परिषद् का बजट राज्य सरकार अनुमोदित करती है।

## पंचायतों के वित्तीय अधिकार

पंचायती राज अधिनियम की धारा 243एच के अन्तर्गत पंचायतों को कर लगाने व वसूलने का भी अधिकार देने के लिए राज्य विधान मंडलों को निर्देशित किया है। इसी प्रकार धारा 243आई के अन्तर्गत संसाधनों की समुचित व्यवस्था हेतु वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था है। धारा 243जे के अन्तर्गत पंचायतों के खातों के ऑडिट का प्रावधान है।

**पंचायतों के लिए निर्धारित 29 विषयः** पंचायती राज अधिनियम 1992 की 11वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243जी में ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित 29 अधिकार दिये गये हैंः

1. कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी शामिल है
2. भूमि विकास, भूमि सुधार कानूनों का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल आच्छादन विकास
4. पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन
5. मत्स्य पालन
6. सामाजिक और कृषि वानिकी
7. लघु वन उत्पाद
8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग
9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण आवास
11. पेयजल
12. ईंधन और चारा
13. सडकें, पुलिया, पुलों, नौका घाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन
14. ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत वितरण
15. गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं
18. तकनीकि प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय
21. खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य
22. बाजार और मेला
23. चिकित्सा और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय शामिल हैं
24. परिवार कल्याण
25. महिला एवं बाल विकास
26. समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है
27. कमजोर वर्गों और खासतौर से अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण

28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण

## ग्राम पंचायतों के कर्तव्य

पंचायतों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे स्थानीय संसाधनों का संतुलित एवं व्यावहारिक रूप से उपयोग करते हुए उनका बेहतर प्रबंध करें और अपनी जरूरतों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार अतिरिक्त संसाधन भी जुटाएं। पंचायतों की बेहतर कार्य प्रणाली के लिए उनके कुछ कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं जो निम्न हैं:

- पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना
- वार्षिक बजट तैयार करना तथा उसे विचार हेतु ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करना
- सार्वजनिक स्थानों से नाजायज कब्जे हटाना
- सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम तथा अंशदान आयोजित करना
- गाँवों के संबंध में आवश्यक आंकडे तैयार करना
- बायोगैस तथा विकसित चूल्हों का प्रचार करना
- गरीबी दूर करने हेतु लाभार्थियों को उनसे संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देना
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ग्राम सभाओं के जरिये लाभार्थियों का चयन
- स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाना तथा व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा का प्रबंध करना
- स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण तथा रखरखाव
- गलियों, नालियों तथा कुओं की सफाई
- परिवार कल्याण
- महिलाओं तथा बाल कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना
- वृद्ध तथा विधवा पेंशन स्कीमों को लागू करने में सहायता प्रदान करना
- कमजोर वर्गो के कल्याण के संबंध में सार्वजनिक चेतना तथा प्रोत्साहन देना
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने में सहायता करना
- आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सार्वजनिक चेतना तथा प्रोत्साहन देना
- सार्वजनिक पार्क तथा खेल के मैदान की व्यवस्था करना
- सार्वजनिक जमीन पर खाद के गडढ़ों के लिए स्थान निश्चित करना।

- अधिक अन्न उत्पादन हेतु वि"ोश अभियान चलाना
- निशक्त, निराश्रित एवं विस्थापित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना।
- पशु नस्ल सुधार तथा पशु चिकित्सा की व्यवस्था करना।
- अनुपयुक्त निजी भूमि को खेती योग्य बनाना
- स्थानीय उत्पादों तथा हस्तकला से संबंधित सामानों की बिक्री हेतु हाट एवं मेलों का आयोजन एवं नियमन

## विभिन्न समितियों का गठन

पंचायत की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलाने के लिए कृषि उत्पादन, सामाजिक न्याय और सुख–सुविधा उप–समितियों का गठन किया जाता है। प्रत्येक समिति की महीने में एक बैठक बुलाना आवश्यक है।

## ग्राम निधि व सरपंच व पंच के दायित्व

ग्राम पंचायत को विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होता है। ग्राम निधि का उपयोग गाँव की विभिन्न जरूरतों की पूर्ति हेतु किया जाता है। सभी धनराशियां डाकघर अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित बैंक में ही जमा करानी होती हैं। नियमानुसार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना ग्राम निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। पंचों व सरपंचों का दायित्व है कि ग्राम निधि व संपि का सही उपयोग हो। लापरवाही से हुई किसी भी हानि के लिए पंच और सरपंच उारदायी होते हैं।

## नयी पंचायती राज व्यवस्था की कुछ विसंगतियां

सैद्धान्तिक तौर पर तो संविधान संशोधन के बाद गाँवों को तीसरी सरकार के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन व्यवहार में सरकार और समाज के प्रयासों में कई विसंगतियां नजर आती हैं। राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं, वे अभी भी आधे–अधूरे हैं और उनको व्यवहार में लाने में अनेक कठिनाइयां हैं। किन्तु जो अधिकार और दायित्व मिले भी हैं, अनेक स्थानों पर पंचायत प्रतिनिधि उनका भी जिम्मेदारी से उपयोग नहीं कर पाते हैं। गाँव के आपसी विवादों का निपटारा पंचायतों की वास्तविक पहचान रही है। लेकिन इस क्षेत्र में आजकल अधिकांश राज्यों में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सामाजिक

न्याय का कार्य भी काफी पीछे छूट गया है। पंचायतों में आर्थिक विकास तथा स्वावलम्बन के कार्यक्रम का अभाव है। इसके चलते सिर्फ सरकारी अनुदानों ने गाँव जीवन में परावलम्बन का भाव पैदा कर दिया है। लोग अपनी वास्तविक शक्ति और क्षमता की समझ भी खो बैठे हैं। चुनाव के समय पैदा पैदा हुई खटास सद्भाव के लिए विख्यात गाँव में स्थायी दुश्मनी का रूप धारण करने लगी है। विकास कार्यक्रम भ्रष्टाचार और नौकरशाही के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सत्ता के विकेन्द्रीकरण में सिर्फ प्रशासनिक सत्ता के ही विकेन्द्रीकरण की बात नहीं है, आर्थिक विकेन्द्रीकरण का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तक गाँव में स्वावलम्बन का विकास नहीं होगा, गाँव आत्मनिर्भर नहीं बन सकेंगे और आत्मनिर्भरता के बगैर खुशहाली नहीं आएगी।

ग्यारहवीं अनुसूची के माध्यम से जिन 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है, उन विषयों से सम्बंधित अधिकार राज्य के विधानमंडलों द्वारा उन्हें सौपे जाने हैं। इस सम्बन्ध में राज्यवार बड़े पैमाने पर बहुत अंतर है। कुछ राज्यों ने कई विषयों के कार्य उन्हें सौप दिए हैं तो कुछ राज्यों ने अभी भी आधे से कम विषय ही सौपें हैं। कार्य सौपने के सम्बन्ध में भी अंतर है। वास्तव में जब किसी विषय से संबंधित अधिकार सौंपने की बात आती है तो उसके अंतर्गत तीन चीजें होती हैं। पहला उस विषय से सम्बंधित कार्य, दूसरा सौपें गए कार्य से सम्बंधित कर्मचारी और तीसरा सौपें गए कार्य एवं कर्मचारी पर व्यय होने वाला कोष। सही अर्थों् में विषयगत अधिकार सौंपने का तात्पर्य उस विषय का कार्य, कर्मी और कोष (Function, Functionaries, Fund) सौंपना होता है। भारत सरकार द्वारा गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जो मूलतः स्थानीय सरकार के विविध पक्षों पर विचार करने हेतु गठित किया गया था, ने पंचायतों को संविधान की मंशा के अनुसार पर्याप्त अधिकार और दायित्व देने की सिफारिश की है। आयोग ने ग्रामीण विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बनाये गए समानांतर एवं वैकल्पिक संस्थानों को पंचायती राज संस्थानों में विलय करने की भी संस्तुति की है। इसी प्रकार लगभग सभी राज्यों के राज्य वित्त आयोग ने भी 11वीं अनुसूची के 29 विषयों के समस्त कार्य, कर्मी और कोष पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में सौंपने की संस्तुतियां की हैं।

❑❑❑

# लक्ष्य से सिद्धि

## समृद्धि एवं ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायतों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत को सोने की चिडिय़ा बनाने में ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था और इसके फलस्वरूप गाँवों में फले–फूले कला–कौशल व उद्योगों की विशेष भूमिका रही। यहां एक बात स्पष्ट रूप से उजागर होती है कि यदि ग्राम प्रशासन सुगठित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी हो, जिसे सुशासन (good governance) भी कह सकते हैं, तो गाँवों के प्रत्येक व्यक्ति की समृद्धि के द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। इसका कारण यह है कि गाँवों के प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा का सदुपयोग होता है और गाँव के सभी संसाधनों का समुचित व सम्यक् उपयोग होता है। इसलिए ग्राम पंचायत व्यवस्था के प्रत्येक सदस्य की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह संविधान में ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के सुचारू क्रियान्वयन को तो सुनिश्चित करे ही, साथ ही गाँव से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को गाँव के विकास में सहभागी बनने के लिए प्रेरित भी करे। एक प्रकार से ग्राम पंचायत व्यवस्था से जुड़ा प्रत्येक सदस्य ग्रामीण विकास के लिए एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है, जिसके लिए किसी प्रकार के धन की नहीं, बल्कि लक्ष्य के प्रति निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता है।

गाँवों में समर्पित भाव से कार्य करने वाले कार्यकताओं ने ऐसे 100 से अधिक कार्य चिन्हित किये हैं जिनको करने के लिए किसी भी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख किया जा सकता है। यदि गाँव का प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने घर और पडोस को स्वच्छ रखने का निश्चय कर ले और कूडे़–कचरे को निर्धारित स्थान पर ही डाले तो गाँव की गलियां और पूरा गाँव स्वतः ही स्वच्छ रहेगा। गाँव के स्वच्छ रहने का सीधा तात्पर्य यह है कि गाँव में संक्रामक रोग नहीं फैलेंगे, गाँव का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होगा, बीमारी की अवस्था में डाक्टरों और दवाइयों पर खर्च होने वाला व्यय बचेगा और व्यक्ति की कार्यक्षमता स्वतः ही बढ़ जाएगी। हमारे यहां कहावत भी है कि मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता रहती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जहां सफाई होगी, वहां अपव्यय बचेगा और संपन्नता आएगी। यदि ऐसी गतिविधियों की बात करें जिनमें धन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती अथवा

बहुत कम होती है उनमें शामिल हैं लोगों में बचत की आदत को बढावा देना, अपने सभी बिलों अथवा करों का भुगतान समय पर करने हेतु प्रेरित करना, छोटा परिवार सुखी परिवार, ग्रामीण प्रतिभाओं की खोज एवं प्रोत्साहन, सम्पूर्ण साक्षर ग्राम, विवादमुक्त ग्राम, श्रमदान को बढावा देना, धुंआ रहित ग्राम, बंधुवा मजदूरी मुक्त ग्राम, स्वस्थ एवं स्वच्छ ग्राम, सक्रिय मतदाता ग्राम, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन, प्लास्टिक मुक्त ग्राम, नशामुक्त ग्राम, आदि।

सुशासन के रूप में जिन गुणों को मानक के रूप चिन्हित किया गया है उसमें मुख्य रूप से पारदर्शिता, सहभागिता और जवाबदेही शामिल हैं। वास्तव में ये तीनों गुण लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राथमिक शर्त हैं, और ये तीनों एक–दूसरे के परस्पर पूरक भी हैं। तीनों को समझने से पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि शासन के दो पक्ष हैं। एक जो शासन या व्यवस्था को चलाता है और दूसरा वह जिसके लिए व्यवस्था चलती है। सुशासन के अन्तर्गत उपरोक्त तीनों गुणों को दोनों पक्षों के संदर्भ में समझना होगा। वैसे तो मोटे तौर पर पारदर्शिता और जवाबदेही शासन चलाने वाले पर अधिक रहती है, लेकिन जब हम सहभागिता को समग्रता के साथ देखते हैं तो वह व्यवस्था चलाने में भी उतनी ही हिस्सेदारी तय करती है जितनी कि उसके लाभ को प्राप्त करने में। जब व्यवस्था में पारदर्शिता आती है तो गलत कार्य की संभावना न्यूनतम हो जाती है। सूचना के अधिकार और सूचना तकनीक के विकास ने पारदर्शिता के कई दरवाजे खोले हैं लेकिन उस तक अभी भी देश के अधिसंख्य लोगों की पहुंच नहीं बन पाई है। हां, संभावना का क्षितिज बहुत व्यापक हुआ है।

सुशासन के संदर्भ में सहभागिता, जिसे हम जनभागीदारी के रूप में भी संबोधित करते हैं, को गहराई से समझना होगा। किसी भी कार्य को तीन स्तरों से होकर गुजरना होता है। पहला स्तर, जब हम उस कार्य की आवश्यकता, उपादेयता और उसके विविध पक्षों को समझते हैं। दूसरा स्तर, जब उसके बारे में निर्णय लेते हैं और तीसरा स्तर, जो निर्णय लिया गया उसे क्रियान्वित करना। पहला स्तर विचार और चर्चा का विषय है। दूसरा निर्णय और तीसरा क्रिया का। किसी व्यवस्था के अर्थ में सहभागिता चर्चा, निर्णय और क्रिया इन स्तरों में विभाजित होती है। सही अर्थों् में जनसहभागिता के मायने इन तीनों स्तर पर सामान्यजन को भागीदार बनाना है। जवाबदेही जहां स्वयं के अर्थ में जिम्मेदारी लेना है वहीं व्यवस्था के

रूप में उसके सभी स्तरों पर कार्य और उसके परिणाम के प्रति किसी न किसी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होती है। अगर हम आजादी के बाद की शासन व्यवस्था का इन गुणों के आधार पर आकलन करें तो काफी कमजोर स्थिति नजर आती है।

सहभागिता के लिए आजादी के ठीक बाद से ही सरकार के स्तर पर प्रयास तो शुरू हो गये थे। यह प्रयास सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के नियमों और अधिनियमों में तो बराबर होता रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत ही कमजोर रहा है। ज्यादातर जगहों पर न के बराबर रहा है। जहां थोड़ा बहुत हुआ भी है, वहां सिर्फ क्रिया के स्तर पर होकर रह गया। चर्चा और निर्णय में जन को सहभागी नहीं बनाया जा सका। जवाबदेही का तो घोर संकट है। ऐसा लगता है मानों कोई किसी चीज के लिए जिम्मेदार ही नहीं है। पंचायत में जो सबसे प्रबल और प्रमुख पक्ष है वह है लोकभागीदारी या जन सहभागिता। इसी के साथ स्वतः ही पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल भी हल होने लगता है। लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने पंचायतों को सहभागी लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण माना है। उनका कहना था कि यदि स्वशासन का कोई स्तर है जहां जनता का पूर्णतम योगदान संभव है तो वह गाँव पर है। केवल उसी स्तर पर पंचायतों के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र (सहभागी लोकतंत्र) की प्रक्रिया पर्याप्त रूप से काम कर सकती है। लोकतंत्र इसी व्यवस्था में सुशासन के तव ज्यादा प्रभावी व लोकग्राह्य हैं।

❑❑❑

# गुजरात का समरस ग्राम मॉडल

ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिकता तथा सद्भावना के विकास और विस्तार की सच्चाई को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उस समय काफी गहराई से समझा जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात में उन्होंने 'समरस गाँव' का एक अभियान चलाया, जो ग्राम परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। इसके अंतर्गत हजारों गाँवों को समरस ग्राम के रूप में विकसित किया गया है।

मोदी जी के ही शब्दों में 'समरस बने गाँव के गाँववासी आपस में मिलकर अपने में से ही सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत के प्रबंधन और कार्य करने के लिए प्रतिनिधि निश्चित करते हैं। इसमें वाद नहीं, विवाद नहीं, अपितु संवाद द्वारा निर्णय किया जाता है। यदि किसी गाँव का तीन वर्ष तक कोई मामला कोर्ट–कचहरी तक नहीं पहुंचा तो उसे 'पावन गाँव' का दर्जा दिया जाता है और यदि पांच वर्ष तक यही स्थिति रही तो यह गाँव 'तीर्थ गाँव' का दर्जा प्राप्त कर लेता है। वास्तव में गाँव के विवादों के गाँव में ही निपटारे से समाज को जो लाभ मिलता है उसके महत्व को यहां अच्छी तरह से समझकर यह योजना बनाई गई। चुनाव के दौरान गाँव में एक दूसरे का विरोध कर जो संबंधों में खटास और कभी–कभी स्थायी शत्रुता का रूप ले लेता है उसे खत्म करने के लिए उन पंचायतों को विशेष प्रोत्साहत दिया जाता है जहां चुनाव की नौबत ही नहीं आती और पूरी पंचायत निर्विरोध चुन ली जाती है। सर्वसम्मति से चुनी हुई ऐसी पंचायतों को सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।

इसके अलावा जिन पंचायतों का नेतृत्व पूरी तरह महिलाएं करती हैं उन्हें सरकार की तरफ से तीन लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाली जिन पंचायतों में सभी पदों पर महिलाएं ही सर्ववम्मति से चुनी जाती हैं उन्हें सरकार पांच लाख रुपये का पुरस्कार देती है। वर्ष 2012 में ही ऐसे समरस ग्रामों की संख्या 3700 से ऊपर थी।

समरस ग्राम का यह प्रयोग सिर्फ गाँव में सद्भाव को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि विकास का भी यह एक बेहतरीन मॉडल बनकर उभरा है। इस भाव को प्रत्येक ग्राम पंचायत में मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए ग्राम पंचायत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इस भाव को समझने और उसे हकीकत में लागू करने हेतु ईमानदार प्रयास करने चाहिए।

❑❑❑

# पंचायतों से जुड़ी भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं

73वें संविधान संशोधन को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 27 मई, 2004 में की। चूंकि पंचायतों से जुड़े सभी कार्य राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होते हैं इसलिए केन्द्रीय मंत्रालय की भूमिका सिर्फ सहयोग और वित्तीय मदद प्रदान करने तक ही सीमित है। लेकिन यदि योजनाओं की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, ऊर्जा, समाज कल्याण, आदि विभिन्न विभागों से जुड़ी ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनके प्रभावी क्रियान्वयन से गाँव के विकास को नयी दिशा प्रदान की जा सकती है। ऐसी कुछ प्रमुख योजनाएं निम्न प्रकार हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रें में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- सुरक्षित मातृत्व हेतु जननी सुरक्षा योजना
- सभी नागरिकों के बैंक खाते सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना
- गरीबी उन्मूलन हेतु दीनदयाल उपाध्याय अन्योदय योजना
- तीव्रगति से कौशल विकास हेतु कौशल भारत योजना
- 50,000 से लेकर 10 लाख रूपये तक का ऋण प्रदान करने हेतु मुद्रा बैंक योजना
- प्रत्येक गांव के विद्युतीकरण हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- कृषि उत्पादन में बढोतरी हेतु भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
- मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस सब्सिडी में होने वाली धांधली को रोकने हेतु प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ योजना
- स्वच्छ भारत मिशन
- दुर्घटना लाभ हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- जीवन बीमा हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सम्पूर्ण टीकाकरण हेतु मिशन इन्द्रधनुष योजना
- स्मार्ट सिटि की तर्ज पर स्मार्ट ग्राम विकसित करने हेतु श्यामा प्रसाद मुकर्जी रूर्बन योजना
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
- स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट अप इंडिया
- वनवासियों के विकास हेतु वनबंधु कल्याण योजना
- गंगा तट पर बसे ग्रामों के विकास हेतु गंगा ग्राम योजना नमामि गंगे
- वर्ष 2022 तक दो करोड़ पक्के मकान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना
- महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए आजीविका ग्रामीण विकास योजना
- खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
- ग्रामीणों के कौशल विकास हेतु दीनददयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

ये सभी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाकर हम प्रत्येक ग्रामवासी के जीवन को खुशहाल बनाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए ग्राम पंचायत से जुड़े प्रत्येक कार्यकर्ता की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र के उन सभी लोगों को सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे जिनके लिए वह योजना सही मायने में शुरू की गयी है।

❑❑❑

# ग्राम पंचायत में युवाओं एवं महिलाओं की भूमिका

यह बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि भारत इस समय युवाओं का देश है। भारत की युवा शक्ति ने अपनी लक्ष्य सिद्धि, समर्पण व कर्तव्यनिष्ठा के अनगिनत उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। आज जिस स्वतंत्रता की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं वह भी युवा शक्ति की ही देन है। इसलिए गाँवों के विकास और समृद्धि के लिए युवाओं को प्रेरित कर आगे लाने की महती आवश्यकता है। इसी प्रकार देश की आधी आबादी यानि महिलाओं की भागीदारी परिवार के साथ ही समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण है। जब से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण मिला है तब से देश की अनेक पंचायतों में मातृशक्ति ने अपनी प्रतिभा के बल पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आवश्यकता है कि मातृशक्ति और युवा शक्ति को प्रेरित कर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किये जाएं।

गाँव के विकास में महिलाओं की सहभागिता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि संविधान में ग्राम पंचायतों के लिए जो 29 विषय निर्धारित किये गये हैं उनमें से परिवार कल्याण, प्रसूति, बाल विकास, साक्षरता, आदि कई विषय ऐसे हैं जो सीधे–सीधे महिलाओं से जुड़े हैं। इन विषयों के संबंध में एक महिला ही महिलाओं की समस्याओं को आसानी से समझकर उनका निदान कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के प्रचार–प्रसार के फलस्वरूप गाँवों में महिलाओं की शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा है। लेकिन गाँव में विवाह होकर आई शिक्षित महिलाओं की प्रतिभा का परिवार की आय वृद्धि में आज भी सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जरूरत इस बात की है कि उन्हें सिलाई अथवा स्वरोजगार आदि का कुछ प्रशिक्षण प्रदान कर इस लायक बनाया जाए कि वे अपने परिवार हेतु स्वाभिमानपूर्वक कुछ पैसे कमा सकें। इस दिशा में स्वयंसेवी संगठनों एवं व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ प्रेरक प्रयोग हुए हैं। यहां ऐसे ही एक प्रयोग का उल्लेख किया जा सकता है।

पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित पटनी गाँव (सहारनपुर से करीब 11 किमी पश्चिम दिशा में) में वर्ष 2013 में इसी गाँव की दिल्ली में रहने वाली एक बेटी, उशा सैनी, ने अपने विवाह के पश्चात् अपने दिवंगत माता–पिता को श्रद्धांजलि देते हुए एक सिलाई सेंटर शुरू किया। जुलाई 2013 से लेकर अभी

तक वह महिला अपने गाँव पटनी और उसके आसपास के दस और गाँवों की 200 से अधिक महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित टेलर बना चुकी हैं। उनमें से 150 से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो आज प्रतिदिन 250 से 750 रुपये कमाती हैं। इनमें से करीब दस महिलाएं आज उद्यमी की भूमिका में हैं। इस महिला का यह प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि अभी तक राज्य सरकार की योजनाओं का परिणाम अत्यंत निराशाजनक रहा है।

इस महिला ने यह पूरा प्रयोग अपने बलबूते किया, यानि न सरकार से और न ही किसी स्वयंसेवी संस्था से अनुदान लिया। बात सिर्फ सिलाई की नहीं है इसमें कढ़ाई, ब्यूटीशियन, आदि अनेक प्रकार के विषय हैं जिनका प्रशिक्षण प्रदान कर गाँव की महिलाओं को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वे अपने परिवार की आय वृद्धि में स्वाभिमानपूर्वक योगदान कर सकें। यदि इस प्रकार के प्रयोग प्रत्येक ग्राम पंचायत में शुरू किये जाएं तो ग्राम समृद्धि में महिलाओं की प्रतिभा का बेहतरीन उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार यदि गाँव की पढ़ी–लिखी युवतियों और गृहिणियों को अपने पूरे गाँव को सम्पूर्ण साक्षर बनाने के लिए प्रेरित किया जाए तो पूरे देश में शिक्षा को लेकर एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आ सकता है। यदि गाँव के युवा अथवा शिक्षित लोग सिर्फ अपने–अपने परिवार के ही प्रत्येक निरक्षर व्यक्ति को साक्षर करने का संकल्प ले लें तो गाँव में कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रहेगा। यह ऐसा काम है जिसके लिए किसी प्रकार की धनराशि की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस दृढ़ संकल्प और उसे अमलीजामा पहनाने की।

❑❑❑

# लीक से हटकर सोचें

संविधान में ग्राम सभाओं के लिए 29 विषय अवश्य निर्धारित किये गये हैं, परन्तु इसके बाद भी सैंकड़ों ऐसे विषय हैं जो गाँव की उन्नति, समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए बहुत महत्व रखते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य स्वप्रेरणा से ऐसे सब विषयों को क्रियान्वित कर न केवल समाज को एक नयी दिशा प्रदान कर सकते हैं बल्कि वे स्वयं भी एक 'रोल मॉडल' के रूप में उभर सकते हैं। गाँव के विकास में 'रोल मॉडल' बने ऐसे पंचायत सदस्यों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जा सकता है। लीक से हटकर काम करने की दृष्टि से कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जिससे सभी सदस्य इस दिशा में चिंतन–मनन कर स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर सकते हैंः

- गाँव की शिक्षित महिलाएं अथवा अन्य शिक्षित व्यक्ति स्कूलों में पढ़ रहे गाँव के बच्चों का मार्गदर्शन कर उनकी शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं
- आज गाँवों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो सेवानिवृत्त होकर गाँव में एकाकी जीवन बिता रहे हैं। ग्राम पंचायत गाँव के ऐसे व्यक्तियों के अनुभव का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास को एक नयी दिशा दे सकती है। ऐसे लोग कम से कम उस विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान तो सरलता से करा सकते हैं जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं।
- गाँव में आज भी ऐसे व्यक्ति बडी संख्या में हैं जो पढ़–लिख नहीं सकते और बैंक व डाकघर संबंधी कार्यों के लिए दूसरों का मुंह ताकते हैं। यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गाँव के युवाओं को अपने–अपने गाँव के सभी निरक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए प्रेरित किया जाए तो सभी गाँव सम्पूर्ण साक्षर बन सकेंगे और इससे गाँव में समरसता का माहौल भी बनेगा।
- इस प्रकार के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युवाओं तथा अन्य लोगों का सार्वजनिक अभिनन्दन भी किया जा सकता है।
- गाँव के जो लोग आज शहरों या विदेशों में रहकर नौकरी अथवा व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें अपने–अपने गाँव के विकास में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया जाए। जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में सहयोग करते हैं उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया जाए और उनका नाम गाँव के सूचना पटल पर

भी अंकित किया जा सकता है।

- देश में बहुत से गाँव ऐसे हैं जहां कला–कौशल और शिल्प की प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। ग्राम पंचायतें ऐसे शिल्पियों और कलाकारों के उन्नयन और उनकी प्रतिभाओं को निखारने में विशेष भूमिका निभा सकती हैं। इस दृष्टि से गाँव में लगने वाले मेलों व प्रदर्शनियों में उनके कला–कौशल के प्रदर्शन की व्यवस्था की जा सकती है। यह कार्य पंचायत समिति और जिला परिषद् स्तर पर भी किया जा सकता है। इससे इन गुमनाम शिल्पियों को राष्ट्रीय स्तर पर उभरने का मौका मिल सकता है।
- गाँवों में प्रायः ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं जहां कोई युवक अपनी प्रतिभा के बल पर कुछ नये प्रयोग कर समाज की तात्कालिक समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं। पंचायत ऐसे युवकों को प्रोत्साहित कर उनकी क्षमताओं को पूरा प्रयोग कर सकती है।
- जैविक कृषि के प्रयोग देश के अनेक हिस्सों में बहुत सफल रहे हैं। ऐसे प्रयोगों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रोत्साहन दिये जाने की जरूरत है।
- अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु जन जागरण किया जाए और प्रत्येक पंचायत में ''समान जलस्रोत, समान पूजा स्थल और समान शमशान'' की सोच को बढ़ावा दिया जाए।
- पंचायत संस्थाओं के सदस्यों को जल, जंगल, जमीन और जीव जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन में रचनात्मक और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- गाँव के परम्परागत जल स्रोत सदियों से जल संरक्षण के महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं जो ग्रामवासियों की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ भूमि जल स्तर को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ग्राम पंचायतों पर इनके संरक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रत्येक पंचायत सदस्य को इस दिशा में सार्थक भूमिका निभानी चाहिए और गाँव के परम्परागत जल स्रोतों पर हुए अतिक्रमण को हटाकर उन्हें फिर से जीवित करना चाहिए।

## समृद्ध भारत निर्माण के अग्रणी योद्धा

पंचायत संस्थाओं के सदस्य इस तथ्य से भली–भांति अवगत हैं कि किसी झोंपडी

को बनाना हो या किसी भव्य का निर्माण करना हो तो उसका प्रारंभ उसकी मजबूत नींव से ही होता है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें जितनी भव्य इमारत का निर्माण करना है उस इमारत की नींव भी उतनी भी मजबूत और विस्तृत होती है। भारत में ग्राम पंचायतों की सुदृढ़ और समृद्ध परम्परा से यह स्पष्ट है कि भारत की समृद्धि में ग्राम पंचायतों की विशेष भूमिका रही है। भारत के प्रत्येक नागरिक का सपना है कि भारत एक बार पुनः वैश्विक परिदृश्य पर उसी गौरवशाली स्थान पर स्थापित हो, जिससे विश्व में शान्ति और सौहार्द की स्थापना हो। ऐसी स्थिति में हम सभी पंचायत सदस्यों के लिए यह बहुत गौरव की बात है कि हम समृद्ध भारत के निर्माण की प्राथमिक कड़ी के अहम घटक हैं। एक प्रकार से समृद्ध भारत के निर्माण के इस महायज्ञ के हम सभी अग्रणी योद्धा हैं। गौरवशाली और समृद्ध भारत के निर्माण का यह सपना समर्पण, निःस्वार्थ सेवाभाव, पारदर्शिता, रचनात्मकता एवं नवोन्मेश के द्वारा सहजता से साकार किया जा सकता है। इस महायज्ञ को उसी प्रकार पूर्ण करना होगा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका निभायी। पूर्ण विश्वास है कि आप पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से देश को समृद्ध करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे।

❑❑❑

# मीडिया / सोशल मीडिया संवाद

जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी मीडिया के प्रभाव का विस्तार हुआ है। हर घर में समाचार पत्रों की दस्तक हो गई है। हर घर में टीवी और हर हाथ में लैपटाप है। प्रिंट, इलेक्ट्रानिक के साथ सोशल मीडिया/डिजिटल मीडिया का हस्तक्षेप प्रभावकारी भूमिका में है। इसमें अपना दखल बढ़े, इसकी कोशिश होनी चाहिए। संचार की आधुनिक तकनीकों में दक्षता जरूरी है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर जैसे दसियों लोकप्रिय वेबसाइटों का इस्तेमाल कर पार्टी की छवि में चार चांद लगा सकते हैं।

## नियमित संपर्क में रहें

भाजपा के हर कार्यकर्ता को मीडिया से न केवल निकट का संपर्क रखना जरूरी है वरन् पार्टी और अपनी छवि को जनता के बीच चमकाने के लिए उसका अधिकतम इस्तेमाल करना है। इसके लिए मीडिया से नियमित संपर्क अपने स्वभाव का हिस्सा बनाएं। आप सब जानते हैं कि भाजपा अन्य दलों से भिन्न है। विचारधारा आधारित पार्टी है। पार्टी के विस्तार के साथ ही उसकी वास्तविक छवि जनता के सामने आये, इसके लिए जरूरी है कि आप सभी व्यक्तिगत स्तर पर अपनी विचारधारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कामकाज के बारे में गहराई से जानें। उतना ही जरूरी यह भी है कि अपने विरोधी राजनीतिक दलों के बारे में भी जानें ताकि उनको तार्किक जवाब देकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले प्रिंट मीडिया पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है ताकि मीडिया की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मसलन प्रेस को भेजी जाने वाली सामग्री बिल्कुल तथ्य पर आधारित हो, कम शब्दों में हो, प्रेस विज्ञप्ति बनाते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का अभ्यास जरूरी है। पत्रकार वार्ता करते समय सभी छोटे-बड़े मीडिया संस्थानों के साथ ही टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को सही सूचना भेजे और पत्रकार वार्ता में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यदि ऐसा कर सके तो मानिए आपका आधा काम हो गया।

## पत्रकारों से वार्ता में सतर्कता बरतें

यह भी सुनिश्चत करें कि सभी पत्रकारों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति, फोटोग्राफ, आडियो, वीडियो वीजुअल्स, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि समय पर पहुंच जाए। जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर यह काम बेहद जरूरी है। समाचार चैनलों से बातचीत करते समय अति सावधानी की जरूरत है। आफ दि रिकार्ड तो कतई बात नहीं करनी चाहिए। बातचीत करते समय पार्टी लाइन का अवश्य ध्यान रखें। व्यक्तिगत विचार जैसी कुछ भी न बात करें। चैनल पर शब्दों का चयन करते समय बहुत सावधानी बरतें। सजीव प्रसारण (लाइव) में तो अति सतर्कता की जरूरत है। उत्तेजित तो कतई न हों। पूरे आत्मविश्वास से बात करें। मीडिया का सहयोग पाने के लिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपको क्या कहना है, उतना ही जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि क्या नहीं कहना है। इस मामले में पत्रकारों या मीडिया संस्थानों से परिचय या दोस्ती बहुत लाभकारी होती है। पत्रकार को अपना नंबर, मोबाइल नंबर, घर का नंबर, ई मेल आदि बेहिचक दे दें। सदैव मीडिया के साथ हमारा सौहार्द बना रहे इसकी हर कोशिश करनी होगी ।

## तथ्यों पर ध्यान दें

सामान्य रूप से पत्रकार तथ्यों की खोज में रहता है। लिहाजा इस आदत का आप लाभ ले सकते हैं। अपनी पार्टी के बारे में सभी सकारात्मक सूचनाएं सही और तथ्यों के साथ उसको उपलब्ध करा सकते हैं। इससे संबंधित पत्रकार के साथ आपके निजी रिश्ते भी मजबूत होंगे। आंकड़ों पर विशेष ध्यान दें। सरकारी रिकार्ड को संजोकर रखें। केंद्र और राज्यों द्वारा समय-समय पर जारी विषय विशेष पर रिपोर्टें, संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट पर ध्यान रखें। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने में अधिक से अधिक रुचि रखें। इंटरनेट की मदद सबसे अधिक कारगर होगी लिहाजा उसके माध्यम से हर समय अपने आपको अपडेट रखें। गूगल से जुड़े रहें। आपका काम सरल हो जाएगा। मीडिया में प्रकाश्य सामग्री (कंटेंट) को 'राजा' (किंग) कहा जाता है। यह जितना मजबूत होगा, आपका समर्थन उतना ही बढ़ेगा और राजनीतिक विस्तार में उतना ही मददगार हो सकता है। इसलिए पार्टी से संबंधित कोई भी विषय चलताऊ तरीके से न लें, उसकी पूरी पृष्ठभूमि समझें, गहराई से अध्ययन

करें, फिर उसे मीडिया के सामने परोसें। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन आपका श्रोता है, कौन पाठक है, कौन आपका लक्ष्य (टारगेट) है।

## डिजिटल मीडिया पर करें फोकस

कंटेंट (सामग्री) तैयार करने के लिए एक शोध टीम का भी गठन किया जा सकता है। इस टीम में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में रुचि लेने वाले युवाओं को अवश्य जोड़ें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपका ध्यान हर समय रहना चाहिए। इसके माध्यम से पार्टी और आपकी खुद की छवि देश-विदेश में निखरेगी। सोशल मीडिया जगत में आप सभी आडियो-वीडियो टूल्स को ट्वीट या पोस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। टैगिंग आपके लिए एक महत्वपूर्ण औजार है जो आपके संदेश को कई गुणा प्रसारित कर सकता है, वीडियो आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया में 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हो सकता है। आनलाइन वीडियो सोशल मीडिया संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। मानकर चलिए कि फेसबुक जैसी लोकप्रिय फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उपयोग कर अपना संदेश पूरी दुनिया में मुफ्त में पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ ट्वीटर जैसी फ्री माइक्रोब्लागिंग सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें कि वहां सधे शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। गूगल या गूगल+ साइट को अपना मित्र बना लें, आपका काम सरल हो जाएगा। इसका उपयोग कर अपने दल की बात को विस्तार से बता सकते हैं। ह्वाट्सएप सुविधा हर एंड्रायड और अन्य स्मार्ट फोन पर उपलब्ध है। संदेश देने का प्रभावी माध्यम है। इसका बहुतायत में इस्तेमाल करें। आपके लिए यू-ट्यूब का इस्तेमाल एक साथ हजारों लोगों से जुड़ने का माध्यम बन सकता है। सोशल मीडिया जनता के बीच अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहा है। इसे हमारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम बनाना ही होगा। सोशल मीडिया प्रायः मुफ्त होता है। न्यूनतम लागत में आप अधिकतम लोगों तक पहुंच सकते हैं। कभी-कभी मुख्य मीडिया में आपकी या पार्टी की कवरेज ठीक से नहीं हो पाती है। ऐसे में आप सोशल मीडिया का उपयोग कर उसकी भरपाई कर सकते हैं। आजकल लोग हर समय ताजा खबरों की इच्छा रखते हैं। ऐसे में पार्टी के बारे में ताजा समाचार देकर उनकी इस आदत का उपयोग अपने हित में कर सकते हैं।

## ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने की जरूरत

मीडिया में स्थान बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के सामने बड़ी कठिनाई होती है। कारण साफ है। मीडिया की पहुंच अभी गांवों तक कम है और कार्यकर्ता भी अभी उससे दूर ही रहते हैं। वहां अपनी पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। त्रिस्तरीय पंचायतों की भूमिका बढ़ने के साथ ही पार्टी का दखल भी वहां बढ़ा है। इसलिए कार्यकर्ता अपने को तैयार करें। पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत) तीसरी सरकार कही जाती हैं। विकास में उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। विकास को पटरी पर लाने के लिए मीडिया का सहारा लें। जरूरी है कि जिले से लेकर कस्बों तक फैले मीडिया से जुड़े रिपोर्टरों को निजी तौर पर साधें, उनको महत्व दें। भाजपा की विकास योजनाओं और पार्टी के कार्यक्रमों को उन तक पहुंचाएं। गांवों और कस्बों में भी हर हाथ में एंड्रायड फोन हैं, सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल मीड़िया भी आपकी पहुंच से बाहर नहीं है।

## शहरी क्षेत्रों को केंद्र बनाएं

शहरी निकायों तथा नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में भाजपा का बहुत तेजी से प्रवेश हो रहा है। लिहाजा कार्यकर्ता यहां भी पूरी गंभीरता से लगें। बढ़ते शहरीकरण के कारण इनका विस्तार होना ही है लिहाजा भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन पर फोकस करने की जरूरत है। शहरी इलाकों में पत्रकार काफी सक्रिय रहते हैं। हमें भी सक्रियता से उनसे संपर्क बनाकर लाभ लेना चाहिए। नुस्खा वही कि उनसे निजी रिश्ते मजबूत करें करें और अपने तथा अपने दल के बारे में उन्हें अपडेट करते रहें। उनको किसी तरह की जानकारी की जरूरत हो तो तत्काल उपलब्ध कराएं। यहां भी सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कारगर होगा ही।

❑❑❑

भारतीय जनता पार्टी
11, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23005700, फैक्स : 011-23005787
ISBN 978-93-88310-17-8
9 789388 310178